

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र सांजटा

प्रार्थीगण
1. विशनाराम पुत्र लालाराम 2
खमाराम पुत्र लालाराम जातियान
कुम्हार निवासीयान सांजटा तहसील
व जिला बाड़मेर

बनाम


विप्रार्थीगण

1. वसु खां पुत्र जगु खां 2 तारु खां पुत्र
जगु खां जातियान मुसलमान 3 कालुराम
पुत्र ईसराराम 4 मुकमारम पुत्र ईसराराम
5 पूर्णराम पुत्र मेघाराम 6 पौकरराम पुत्र
भूराराम 7 विरूराम पुत्र पांचाराम 8
मंगाराम पुत्र पांचाराम 9 बांकाराम पुत्र
नारणाराम 10 पदमाराम पुत्र अचलाराम
11 जोगाराम पुत्र किस्तुराराम 12
प्रतापाराम पुत्र करनाराम 13 मानाराम पुत्र
भूराराम 14 नारणा पुत्र मांगाराम 15
उदाराम पुत्र शेराराम 16 हरखाराम पुत्र
उदाराम 17 रावताराम पुत्र लच्छाराम 18
रुगाराम पुत्र पनाराम जातियान कुंभार
निवासीयान सांजटा तहसील एवं जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन सख्या-138/2021 दिनांक-09.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांजटा पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर
के खसरा नम्बर 615 रकबा 8.16 बीघा, खसरा नंबर 1082/582 रकबा 15.00 बीघा,
खसरा नंबर 1084/600 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नंबर 1086/608 रकबा 09.15
बीघा, खसरा नंबर 1090/617 रकबा 23.19 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता
है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र
सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक/रीडर/2021/ 6230-6233

दिनांक- 09/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी विशनाराम पुत्र लालाराम वगैराह जाति कुंभार निवासी सांजटा तहसील व जिला
बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण वसु खां पुत्र जगु खां वगैराह जाति मुसलमान/कुंभार निवासी सांजटा तहसील
व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर